

न्यायालय तहसीलदार मसूदा, जिला - अजमेर

प्रकरण संख्या 244/2019

स्थान सरकार जरिए पटवारी हल्का

शाक प्रथम

बनाम

मील

पत्नी

सायर

जामति

भेरान

निवासी

रावण वासिज

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 29-8-2019

निर्णय:-

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का शाक प्रथम द्वारा सम्मत 2076 ग्राम रावण वासिज की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2702 कुल रकबा 90 बीघा क्विंटल में से रकबा 90 बीघा भूमि पर अप्रार्थी श्री मील द्वारा नाजायज कर कर सायर जाति भेरान निवासी रावण वासिज द्वारा की गयी है। प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई। प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 29/8/2019 को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया।

अप्रार्थी ने नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है।

मैंने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिकर्मी उक्त भूमि पर काबिज है।

अतः श्री मील पुत्र रावण वासिज निवासी रावण वासिज को सिवायचक भूमि ग्राम रावण वासिज के खसरा नम्बर 2702 कुल रकबा 90 क्विंटल में से रकबा 90 भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काशत के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल किए जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान 0.30 को पचास गुणा 15/- रूपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खडी फसल/ अन्य को जब्त कर सरकार निलाम किया जावे आदेश की पालना भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29/8/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलारा सुनाया गया एवं

शामिल मिसल किया गया

2019-20 वर्ष के रा.ले. 4 रजिस्टर के पृष्ठ सं. पर रु. 15 की मांग कायम की गई।



महिला विभागीय तहसीलदार अजमेर जिला - अजमेर

मसूदा